रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/माघ 19, 1937
No. 89]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/ MAGHA 19 , 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.149(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा मुंबई पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदित करती है और ये इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है.

2. उक्त संशोधन विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

[फा. सं. एच–11011/1/2012–पीई–I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल एतदद्वारा मुंबई पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में सुधार करने हेतु निम्न विनियम बनाता है।

1. (i) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएँ जाएँ।

   (ii) ये महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार की मंजूरी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में विनियम 30 में प्रावधान के अंत में "उसपर उनका निर्णय अन्तिम और बंधनकारी होगा" इन शब्दों को जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी: मूल विनियम दिनांक 7.5.2010 के सा.का.नि. सं. 387 (अ) के अन्तर्गत प्रकाशित हुए तथा बाद में निम्मानुसार संशोधित हुए :–

1. दिनांक 21.4.2014 का सा.का.नि. सं. 309 (अ)

2. दिनांक 29.5.2015 का सा.का.नि. सं. 518 (अ)

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Mumbai to further amend the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 and are set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/1/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Mumbai Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

1. **Short Title and commencement.-**

(i) These Regulation may be called the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010:

(i) In Regulation 30, at the end of the provision after the words “for a decision”, the words, “whose decision thereon shall be final and binding” shall be added.

Note: The Principal regulations were notified in the Gazette of India under number GSR 387 (E), dated 7.5.2010 and amended vide GSR 309 (E), dated 21-4-2014 and GSR 518 (E), dated 29-5-2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.150(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एच–11011/1/2012–पीई–I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

(1) (i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।

(ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

(2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 के विनियम-30 के उपबंध में "किसी निर्णय के लिए" शब्दों के बाद "जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा" जोड़ा जाएगा।

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 21 जनवरी, 2011 के सा.का.नि. 43(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R.150(E).–In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/1/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations,2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :

1. (i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

   (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in Regulation 30, at the end of the provision, after the words, “for a decision”, the words, “whose decision thereon shall be final and binding” shall be added.

FOOT NOTE : Principal Regulations published vide GSR 43(E) dated 21st January, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.151(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदित करती है और इसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एच–11011/1/2012–पीई– I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन का न्यार्सी एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

1. (i) ये विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे ।

(ii) ये केंद्र सरकार के अनुमोदन के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे, जैसाकि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है।

2. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 के विनियम 30 में, प्रावधान के अंत में शब्दों "निर्णय के लिए" के पश्चात शब्द "उस पर जिनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा", को जोड़ा जाएगा ।

पाद टिप्पणी –मुख्य विनियम 15 अक्तूबर, 2013, सा.का.नि. सं. 687 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

(i) सा.का.नि.सं. 602 (अ) दि. 31/7/2015

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 151(E).- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Kolkata and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/1/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

KOLKATA PORT TRUST

Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kolkata hereby makes the following regulations further to amend the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013 namely :-

1. (i) These Regulations may be called as the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013, in Regulations 30, at the end of the provision after the words "for a decision", the words, "whose decision thereon shall be final and binding" shall be added.

FOOT NOTE: Principal Regulations Published vide G.S.R. No. 687 (E) dated 15th October, 2013.

(i) GSR No. 602(E) dated 31/7/2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.152(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित और धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा न्यासी मंडल द्वारा कंडला पोर्ट हेतु बनाए गए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदन प्रदान करती है तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. एच—11011/1/2012—पीई—I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है जिन्हें आगे संशोधित करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009 बनाए हैं, अर्थात् :

1. (i) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016 कहे जाएंगे ।

(ii) ये भारत के राजपत्र में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के अधीन यथापेक्षित केंद्र सरकार के अनुमोदन के उपरांत प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009 में, विनियम 30 के अंत में तत्संबंधी प्रावधानों हेतु "निर्णय के लिए" शब्दों के पश्चात् "जिसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा" जोडा जाएगा।

पाद—टिप्पणी : मूल विनियमों के सा. का. नि. 767 (अ) दिनांक 20.10.2009 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 152(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016, made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette

[F. No. H-11011/1/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009 namely:-

1. (i) These Regulations may be called as the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in Regulations 30, at the end of the provision, after the words "for a decision", the words, "whose decision thereon shall be final and binding" shall be added.

FOOT NOTE : Principal Regulations published vide GSR No. 767 (E) dated 20/10/2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.153(अ).— महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. एच–11011/1/2012–पीई–I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा–28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल, मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :–

1. (i) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(ii) ये उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को इन विनियमों के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा –124 तथा 132 के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक है।

2. मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 30 में "निर्वचन" शीर्ष के तहत अंतिम भाग में "जाएगा" शब्द के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोडा जाए:

"जिनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा"।

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सा.का.नि.सं. 467 (अ) दि. 4/6/2010 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 153(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/1/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

MORMUGAO PORT TRUST

Mormugao Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Mormugao Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Mormugao Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in Regulations 30, at the end of the provision after the words "for a decision", the words, "whose decision thereon shall be final and binding" shall be added.

Foot Note: Principal Regulations published vide GSR No. 467 (E) dated 04/06/2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि.154(अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप—धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, व.उ.चिदम्बरनार के पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण द्वारा, बनाए गए तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016, जो इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, को एतद्द्वारा अनुमोदन देती है।

2. उक्त संशोधित विनियम, सरकारी राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

[फा. सं. एच—11011/1/2012—पीई—I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व.उ. चिदम्बरनार पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण, एततद्वारा, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 को, और आगे संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहे जाएं ।

(ii) ये, भारत के राजपत्र में, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के अधीन, आवश्यकतानुसार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 में, विनियम 30 में, ''निर्णय के लिए'' शब्दों के बाद के प्रावधान के अंत में, शब्द ''जिस पर उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा'' को जोडा जाएगा ।

पाद टिप्पणी :– सा.का.नि. सं0 603 (असा.), दिनांकितः 21.08.2008 के जरिए प्रमुख विनियम को राजपत्र में अधिसूचित किये गये थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 154(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of V.O.Chidambaranar and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/1/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

V.O.CHIDAMBARANAR PORT TRUST

Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of powers conferred under section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of V.O.Chidambaranar hereby makes the following regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, namely:-

1. (i) These Regulations may be called as the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
   (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.
2. In the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, in Regulation 30, at the end of the provision after the words "for a decision" the words, "whose decision thereon shall be final and binding" shall be added.

Foot Note: The principal Regulations were Gazette Notified *vide* G.S.R. 603 (E) dated 21.08.2008

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.